न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

विभाजन वाद–13 / 2023

अरविन्द शर्मा..............................वादी

बनाम

प्रयाग शर्मा वगैरह..प्रतिवादीगण

30.06.25 अभिलेख आज वादी की ओर से सुनवाई पश्चात् वादपत्र संशोधन हेतु आवेदन दिनांक–26.05.2025 पर आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी को उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल करने से वंचित कर दिया गया है।

अपने आवेदन में वादी ने निवेदन किया है कि वादी जो परिवार के सदस्य हैं, अधिकांशतः बाहर रहने के कारण सम्पूर्ण जायदाद की जानकारी नहीं रहने के कारण वादपत्र के मद नं0–2 में अंकित नहीं हो सका जिस जायदाद का विवरण को वादपत्र में शामिल किया जाना आवश्यक है तथा वादपत्रके अनुतोष अंश में अनुतोष 'ख' में कुछ शब्द का शामिल किया जाना भी जरूरी है। प्रस्तावित सुधार से वाद की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः आवेदनांकित वादपत्र में सुधार करने की अनुमति प्रदान की जाए।

उभय पक्षों को सुना अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद वादी साक्ष्य हेतु लंबित है और उपरोक्त संशोधन वादी द्वारा विवादित भूमि से संबंधित वादपत्र के मद सं0–2 में कुछ शब्द जोड़े जाने का कथन किया गया है जो टंकित होना छूट गया है जिस कारण वादपत्र में संशोधन चाहते हैं जो खाता, खेसरा एवं रकवा से संबंधित संशोधन प्रतीत होता है तथा वर्तमान वाद में वाद के अंतिम न्याय–निर्णयन की दृष्टि से तथा उभय पक्षों के मध्य विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण हेतु आवश्यक प्रतीत होता है। तद्नुसार उपरोक्त संशोधन आवेदन स्वीकृत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि आवेदनांकित संशोधन आदेश की तिथि से 14 दिनों के भीतर अपना प्रस्तावित संशोधन वादपत्र के मद सं0–2 में दर्ज करते हुए अगली निश्चित तिथि पर साक्ष्य हेतु उपस्थित रहें।

वाद दिनांक– 28-07-2025 वास्ते करने संशोधन विविध वादपत्र में एवं साक्ष्य वादी की ओर से।

अवर न्यायाधीश,
शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।